# फर्म अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | दिनांक अ |
|---|---|---|---|
| | 8/8/24 | पत्रावली बिना कोई कार्यवाही किये उपखण्ड अधिकारी की अदालत में पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जोबनेर जयपुर | |
| | 2-10-24 | पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/10/24 को पेश हो। | |
| | 18/10/24 | पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/12/24 को पेश हो। | |
| | 11/12/24 | [illegible] P.O. [illegible] अन्य [illegible] व्यस्त है। अतः पूर्व [illegible] दिनांक 15/1/25 को पेश हो। | |
| | 15.1.25 | पत्रावली खोली गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को राज. न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजें लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत अग्रिम कार्यवाही व अग्रिम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर अलमारी के नाम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जोबनेर, जयपुर | |

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर